ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री राजेश शर्मा	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति गुरमीत कौर	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री पम्मी कुमार	01.04.14 से 04.01.17
2	श्रीमति व्यासा देवी	05.01.17 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड भोरंज के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर पाया जाना	0.01
2	4.2	बैंक में जमा राशि कि रोकड़ वही का रख रखाव	0.45

		न करना	
2	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.31
3	6	शादी की पंजीकरण फीस के रूप में कम वसूली	0.03
4	7	अनुदान का उपयोग न करना	15.47
5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	2.13
6	9	स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने बारे	0.06
7	10	व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण सम्बंधित राशि का संभावित दुर्विनियोजन/गबन	0.36
8	11	निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री की मात्रा का अधिक उपयोग करने के कारण हानि	0.14

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.10.17 से 26.10.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	06/2014	02/2015
2015-16	05/2015	09/2015
2016-17	05/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6800 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 527 दिनांक 26.10.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 257983 (KCCB) दिनांक 02.11.17 के

माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग(हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत पपलाह, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत पपलाह, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	304034	170604	474638	35922	438716
2015-16	438716	116344	555060	175740	379320
2016-17	379320	82729	462049	132044	330005

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत पपलाह, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	447646	1522040	1969686	1595549	374137
2015-16	374137	1643216	2017353	1249889	767464
2016-17	767464	2159568	2927032	1379694	1547338

नोट:- हरियाली मद के अन्तर्गत बैंक में जमा ₹44658 जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4.2 में उल्लेखित है को उपरोक्त वित्तीय स्थिति में सम्मिलित नहीं किया गया है

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹330005

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1547338

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में
दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹ 1877343

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹ 1875645
दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व- स्त्रौत) : ₹ 532
दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (13th FC) : ₹ 288
अन्तर की राशि : ₹ 878

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -5509	329474
13th & 14th FC, PNB -27987	1337169.39
GEN-B, KCCB -60972	206478

IAY, PNB-24996	2286
RAY, PNB -24987	238
MNREGA, PNB -23671	0
कुल राशि	**1875645.39**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष में ₹878 का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹878 का अन्तर पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 526 दिनांक 25.10.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 5 दिनांक 02.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर की ₹878 की वसूली रसीद संख्या 165368 एवं 165369 दिनांक 25.10.17 द्वारा करके खाता संख्या 13th FC, PNB-27987 में जमा कर दी गई है, जोकि संतोषजनक नहीं है। अतः अन्तर के कारणों की जांच की जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत किया जाए। भविष्य में पंचायत की रोकड़ वहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं रोकड़ वहियों को सत्यापित करवाना भी सुनिश्चित करें।

4.2 बैंक खातों में जमा ₹0.45 लाख का रोकड़ वही का रख रखाव न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत में निम्नलिखित बैंक खाते (हरियाली) खोला गया था जिसमें दिनांक 31.03.17 को ₹44658 जमा थे एवं इन खातों के रख-रखाब की रोकड़ वही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे इस खाते से किए गए व्ययों की जांच नहीं की जा सकी । अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 526 दिनांक 25.10.17 द्वारा रोकड़ वही प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 5 दिनांक 02.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि इस खाते का रख-रखाव रोकड़ वही में किया गया है, लेकिन अभी अधूरी हैं तथा शीघ्र पूर्ण करके प्रस्तुत कर दी जायेगी, जिसे अंकेक्षण के पश्चात आगामी पंचायत के अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया एवं इसकी जांच कर ली गई थी । अतः भविष्य में प्रत्येक बैंक खाते का रख-रखाब रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें । खातों का विवरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	दिनांक 31.03.17 को जमा राशि
KCCB- 20134007404	44658/-

5 **पंचायत राजस्व ₹0.31 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹31425 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें ।

1 **गृहकर :**

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	15675	15675	31350	0	31350
2015-16	31350	15675	47025	31275	15750
2016-17	15750	15675	31425	0	31425

6 **शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹0.03 लाख की कम वसूली :-**

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है । जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹3050 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे:-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	शादी की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	पंजीकरण राशि
20 (2016)	श्रीमति जमना देवी	11.10.16	08.11.16	200/-
21	श्री राजन कुमार	01.11.16	09.11.16	200/-
22	श्री योग राज	20.10.16	10.11.16	200/-
23	श्री राम प्रताप	10.11.16	11.11.16	200/-
24	श्रीमति सुनीता देवी (BPL)	11.11.16	16.11.16	25/-
25	श्री दीना नाथ (BPL)	03.11.16	24.11.16	25/-
26	श्री मनोहर लाल	30.11.16	05.12.16	200/-
27	श्री शशि कुमार	04.12.16	09.12.16	200/-
29	श्री रोशन कुमार	04.12.16	17.12.16	200/-
30	श्री राजीव शर्मा	01.12.16	20.12.16	200/-
31	श्री रघुनाथ शर्मा	10.12.16	20.12.16	200/-
32	श्री चमन लाल	08.12.16	26.12.16	200/-

1 (2017)	श्री वीरेंद्र कुमार	23.01.17	13.02.17	200/-
2	श्री नानक चंद	18.01.17	17.02.17	200/-
3	श्री रविन्द्र कुमार	15.02.17	04.03.17	200/-
4	श्री अनिल कुमार	29.01.17	08.03.17	400/-
		कम वसूली गई राशि		**3050.00**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 526 दिनांक 25.10.17 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 05 दिनांक 02.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹3050 की वसूली रसीद संख्या 165370 द्वारा करके दिनांक 30.10.17 को निधि खाता संख्या KCCB-5509 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी । अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये ।

7 अनुदान ₹15.47 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1547338 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.13 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹213288 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने पर ₹0.06 लाख की वसूली:-

जांच में पाया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर स्वीकृत एवं प्राप्त की गई राशि से ₹5943 अधिक खर्च कर दी गई थी :-

वर्ष	कार्य का नाम	माप पुस्तिका/	स्वीकृत	व्यय राशि	अधिक व्यय

		वही खाता पृष्ठ संख्या	/प्राप्त राशि		
2014-15	नि. शमशान घाट, OBC बस्ती, छतरैल	MB: 5843/20 Ledger P-125,215,224	68600/-	73982/-	5382/-
2015-16	नि. शमशान घाट, छब्न्दडा, हरिजन बस्ती	MB: 5843/42 Ledger P-2	58800/-	59361/-	561/-

उक्त अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 526 दिनांक 25.10.17 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 05 दिनांक 02.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹5943 की वसूली रसीद संख्या 165371 एवं 165372 द्वारा करके दिनांक 30.10.17 को सामान्य रोकड़ वही के बैंक खाता संख्या KCCB-60972 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी । अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये ।

10 ₹0.36 लाख के व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण सम्बंधित राशि के दुर्विनियोजन/गबन की सम्भावना:-

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को पंचायत निधि से किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी । अभिलेख उपलब्ध न करवाना पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है । अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹ 36431/- के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	निधि का नाम	वाउचर संख्या / दिनांक	राशि
1.	**Cash Book 13th FC**	Vr. No. 21 Dated 14.03.17, Withdrawl on 14.03.17 from account No. PNB-27987 vide Cheque No. 75456 Dated 14.03.17	9900.00
2.	-do-	Vr. No. 22 Dated 22.03.17, Withdrawl on 22.03.17 from account No. PNB-27987 vide Cheque No. 75457 Dated 14.03.17	2428.00
3.	**Haryali Cash Book**	Withdrawl on 24.09.17 from account No. KCCB-20134007415 vide Cheque No. 512156 Dated 24.09.14	24103.00
		कुल राशि	**36431.00**

11 निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री की मात्रा का अधिक उपयोग फलस्वरूप ₹0.14 लाख की हानि :-

1. "नि. शमशान घाट, खरिंगण " :- माप पुस्तिका 5843 पृष्ठ 55 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए

सीमेंट, रेत, एवं बजरी की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा
P/L C:C 1:6:12, 1.22 CUM	1.22 X 2.20 = 2.68 बैग	1.22 X 0.47 = 0.57 CUM	1.22 X 0.89 = 1.09 CUM
P/L C:C 1:4:8, 2.43 CUM	2.43 X 3.40 = 8.26 बैग	2.43 X 0.47 = 1.14 CUM	2.43 X 0.89 = 2.16 CUM
P/L C:C 1:2:4, 6 CUM	6 X 6.40 = 38.40 बैग	6 X 0.445= 2.67 CUM	6 X 0.89 = 5.34 CUM
सामग्री की कुल अपेक्षित खपत	49.34 बैग	4.38 CUM	8.59 CUM

जांच में पाया कि उक्त कार्य में मानकों के अनुसार बजरी की अपेक्षित खपत 303 CFT के स्थान पर 343 CFT एवं रेत की अपेक्षित खपत 155 CFT के स्थान पर 181 CFT (वही खाता पृष्ठ -6, 2016-17) का प्रयोग किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में बजरी एवं रेत की अधिक मात्रा का क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 40 cft बजरी @ ₹37 प्रति Cft की दर से ₹1480 एवं 26 cft रेत @ ₹37 प्रति Cft की दर से ₹962 की एवं कुल ₹2442 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

2. **"नि. शमशान घाट, हरिजन बस्ती ":-** माप पुस्तिका 5843 पृष्ठ 65 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत, एवं बजरी की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा
P/L C:C 1:6:12, 0.496 CUM	0.496 X 2.20 = 1.09 बैग	0.496 X 0.47 = 0.23 CUM	0.496 X 0.89 = 0.44 CUM
P/L C:C 1:4:8, 2.12 CUM	2.12 X 3.40 = 7.21 बैग	2.12 X 0.47 =0.996 CUM	2.12 X 0.89 = 1.89 CUM
P/L C:C 1:5:10, 1.87 CUM	1.87 X 2.60 = 4.86 बैग	1.87 X 0.47 =0.88 CUM	1.87 X 0.89 = 1.66 CUM
P/L C:C 1:2:4, 4.872 CUM	4.872 X 6.40 = 31.18 बैग	4.872 X 0.445 = 2.17 CUM	4.872 X 0.89 = 4.34 CUM
सामग्री की कुल अपेक्षित खपत	44.34 बैग	4.276 CUM	8.33 CUM

जांच में पाया कि उक्त कार्य में मानकों के अनुसार रेत की अपेक्षित खपत 151 CFT के स्थान पर 230 CFT का प्रयोग किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में रेत की अधिक मात्रा का क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 79 cft रेत @ ₹33 प्रति Cft की दर से ₹2607 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

3. **"नि. लिंक रोड प्रवीण के घर से पशु चिकित्सालय तक "** :- माप पुस्तिका 5843 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत, एवं बजरी की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा
P/L C:C 1:3:6, 30.28 CUM	30.28 X 4.40 = 133 बैग	30.28 X 0.47 = 14.23 CUM	30.28 X 0.89 = 26.95 CUM

जांच में पाया कि उक्त कार्य में मानकों के अनुसार बजरी की अपेक्षित खपत 952 CFT के स्थान पर 1150 CFT एवं रेत की अपेक्षित खपत 502 CFT के स्थान पर 600 CFT (वही खाता पृष्ठ -241, 2015-16) का प्रयोग किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में बजरी एवं रेत की अधिक मात्रा का क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 198 cft बजरी @ ₹29 प्रति Cft की दर से ₹5742 एवं 98 cft रेत @ ₹29 प्रति Cft की दर से ₹2842 की एवं कुल ₹8584 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 526 दिनांक 25.10.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 5 दिनांक 02.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वसूलियों की जांच उपरान्त बाद में अवगत करवाया जायेगा । अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

12 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर ब्याज के रूप में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए

भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

13 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।

14 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 40/2017 खण्ड–1–809–812 दिनांक02.02.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046